वादी

सांगसिंह पुत्र भीखसिंह
जाति राजपूत
निवासी ग्राम खेतुसर
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. परबतसिंह पुत्र सांगसिंह
2. जबरसिंह पुत्र सांगसिंह
   जाति राजपूत
   निवासीयान ग्राम खेतुसर
   तहसील बाप जिला जोधपुर
3. तहसीलदार बाप।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या : 54/2017

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 15/06/2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प देदासरी में पेश हुई। वादी के वाद का संक्षिप्त में सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 357/2 रकबा 123–10 बीघा, खसरा नम्बर 389 रकबा 6–13 बीघा कुल रकबा 130–03 बीघा भूमि सरहद मौजा दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित हैं। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भीखसिंह पुत्र रूपसिंह व वादी के बड़े पिता मंगलसिंह पुत्र रूपसिंह के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जब वादी के पिता भीखसिंह पुत्र रूपसिंह फौत हुये तो भीखसिंह के फौतदगी का नामान्तरकरण संख्या 54 मौजा दुर्जनी भरा जाकर स्वीकृत हुआ। भीखसिंह पुत्र रूपसिंह के एकमात्र वारिसान वादी ही था लेकिन भीखसिंह के फौतदगी नामान्तरकरण में पटवारी हल्का ने वादी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 को भी उक्त नामान्तरकरण में वादी के साथ गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 2 भीखसिंह का पौत्र था और वादी के

सहायक कलक्टर-बाप

जीते जी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम उक्त नामान्तरकरण में सरासर गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया इसलिए यह नामान्तरकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिज के हैं। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 54 मौजा दुर्जनी को निरस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी अपने नाम दर्ज किया जावें। वादी के बड़े पिता मंगलसिंह पुत्र रूपसिंह अविवाहित एवं नाऔलाद फौत हो चुके हैं। मंगलसिंह पुत्र रूपसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान उसके सगे भाई भीखसिंह पुत्र रूपसिंह का पुत्र वादी सांगसिंह ही हैं। सांगसिंह के अलावा अन्य कोई भी सख्स मंगलसिंह पुत्र रूपसिंह के उतराधिकारी वारिसान नहीं हैं और न ही मंगलसिंह ने अपने जीवनकाल में किसी भी अन्य व्यक्ति को गोद ही लिया था या उक्त भूमि वसीयत ही की थी। लेकिन जब मंगलसिंह पुत्र रूपसिंह फौत हुये तो मंगलसिंह के फौतदगी का नामान्तरकरण संख्या 116 मौजा दुर्जनी भरा जाकर स्वीकृत हुआ लेकिन उक्त नामान्तरकरण सरासर गलत तरीके से वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम भरा जाकर स्वीकृत कर दिया जबकि वादी ही मंगलसिंह पुत्र रूपसिंह का प्रथम श्रेणी का वारिस था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कभी भी मंगलसिंह ने गोद नहीं लिया था और न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि कभी वसीयत ही की गई थी। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 116 को निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 357/2 रकबा 123–10 बीघा, खसरा नम्बर 389 रकबा 6–13 बीघा कुल रकबा 130–03 बीघा सरहद मौजा दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, जिसका यह वाद पेश हैं।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार बाप ने भी उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में अभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन व अवलोकन पाया गया कि वादी के पिता एवं वादी के बड़े पिता मंगलसिंह के नाम खसरा नम्बर 357/2 रकबा 123–10 बीघा, खसरा नम्बर 389 रकबा 6–13 बीघा कुल रकबा 130–03 बीघा भूमि सरहद मौजा दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर स्थित हैं। जब वादी के पिता फौत हुये तो उनके फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 54 मौजा दुर्जनी भरा जाकर स्वीकृत हुआ लेकिन उक्त नामान्तरकरण में वादी के साथ वादी के पुत्र

सहायक कलक्टर-बाप

एवं मुतवफी भीखसिंह के पौत्र झबरसिंह का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया जबकि झबरसिंह भीखसिंह का पौत्र था जिसका नाम अपने दादा के फौतेदगी के नामान्तरकरण में शामिल करना सरासर गलत हैं। जब वादी के बड़े पिता मंगलसिंह फौत हुये तो उनके फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 116 मौजा दुर्जनी भरा गया। उक्त नामान्तरकरण सरासर गलत तरीके से वादी के पुत्र के नाम से भरा जाकर स्वीकृत किया गया। जबकि मुतवफी मंगलसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 116 मौजा दुर्जनी मंगलसिंह के सगे भाई वादी सांगसिंह के नाम से भरा जाकर स्वीकृत किया जाना चाहिए था। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम उक्त विवादग्रस्त भूमि में सरासर गलत तरीके से दर्ज किये गये हैं। वादी का वाद वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब से साबित होता हैं उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं इसलिए वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 357/2 रकबा 123–10 बीघा, खसरा नम्बर 389 रकबा 6–13 बीघा कुल रकबा 130–03 बीघा भूमि में गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी सांगसिंह पुत्र भीखसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बाप को आदेशित किया जाता हैं कि माफिक आदेश पालना कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। निर्णय की पालना हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/06/2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के तहत आयोजित कैम्प अटल सेवा केन्द्र देदासरी में मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला जोधपुर (राज.)

सहायक कलेक्टर-बाप
कैम्प बाप (जोधपुर) देदासरी
राजस्व लोक अदालत-2017

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बाप, जिला–जोधपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदलत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्र कुमार डांगा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. संगसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम खेतुसर तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

1. परबतसिंह पुत्र सांगसिंह
2. जबरसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपुत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला जोधपुर
3 तहसीलदार बाप

दाव बाबत :– 88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नंबर :– 54/2017

निर्णय

दिनांक:– 15/06/17

वादी की और से वकील श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 हाजिर नही उप व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15/06/2017 उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है। कि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 357/2 रकबा 123.10 बीघा, खसरा नंबर 389 रकबा 6.13 बीघा कुल रकबा 130.03 बीघा भूमि में गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी सांगसिंह पुत्र भीखसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेशित किया जाता है। कि माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

ह आज तारीख 15/06/17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार डांगा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बाप

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदशों के लिए स्टाम्प ......रूपये पर प्लीडर की फीस सक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लडर की फीस सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	